न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 64/2025 बउनवानी रवि कुमार सैन, **बनाम** तहसीलदार सवाईमाधोपुर
निवासी माली पाडा लाखेरी , जिला बूंदी

Appeal Number- 321490607505718

GCMS No-2025/ 173

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	
30.7.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 24.4.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहंसीलदार सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर" ***ग्राम पीपलवाडा तहसील बौली के खाता संख्या 77 की भूमि ख0न0 1426,1427 के नामा0 संख्या 1240 व 1250 के संबंध में प्रश्नात्मक सूचना" तहसीलदार सवाईमाधोपुर*** से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर को तत्कांल सूचना उपलब्ध कराने हेतु पोर्टल के माध्यम से ही आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार सवाईमाधोपुर के पत्रांक/आरटीआई/2025/105 दिनांक 28.7.2025 से अवगत करवाया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 24.4.2025 मे चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक है तथा सूचना नही मांगकर तहसीलदार,पटवारी व सरपंच के विरूद्व नामा0 खोले जाने के संबंध में शिकायत पत्र किया था अपीलान्ट द्वारा वर्णित शिकायती पत्र में नामा0 संख्या 1240 व 1250 की सूचना चाही गयी है जिसके संबंध में अपीलान्ट को कार्यालय पत्रांक 90 दिनांक 90 दिनांक 25.6.2025 से वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रश्नों के उत्तर दिये जाने या सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठायी गयी समस्याओं का समाधान करना अपेक्षित नही है। यदि कोई अभिलेख चाहिए तो पूर्ण विवरण के अंकित करे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 24.4.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना के संबंध मे लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक आरटीआई/2025/90 दिनांक 25.6.2025 से अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। ऐसी स्थिति मे अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। Signature Not Verified Digitally signed by Kana Ram Date: 2025.10.21 15:33:55 IST Reason: SelfAttested (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner